भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3684**

24.03.2025 को उत्तर के लिए

**ई-अपशिष्ट का प्रबंधन**

**3684. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः**
**डॉ. नामदेव किरसानः**
**श्री एंटो एन्टोनी:**
**श्री नवीन जिंदलः**
**श्री बैन्नी बेहनन:**
**डॉ. धर्मवीर गांधीः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु** परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वार्षिक रूप से ई-अपशिष्ट उत्पन्न होने की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इसमें वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) ई-अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए क्या तंत्र मौजूद है और अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका क्या है;

(ग) ई-अपशिष्ट के निपटान को विनियमित करने और सुरक्षित पुनर्चक्रण पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या नीतिगत उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ई-अपशिष्ट को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के नवीकरण और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों का ब्यौरा क्या है;

(च) वर्तमान में कितनी प्राधिकृत ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाइयां कार्य कर रही हैं और उनकी प्रसंस्करण क्षमता कितनी है; और

(छ) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) अनुपालन को सुदृद्ध करने और ई-अपशिष्ट निपटान में उपभोक्ता भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (ग) मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं तथा ये 01 अप्रैल, 2023 से लागू हो गए हैं। उक्त नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना है कि ई-अपशिष्ट का प्रबंधन इस तरह से किया जाए जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को ऐसे ई-अपशिष्ट से होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके। इन नए नियमों का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल से ई-

अपशिष्ट का प्रबंधन करना और ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए बेहतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था लागू करना है, जिसमें सभी निर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये नए प्रावधान अनौपचारिक क्षेत्र को व्यापार करने के लिए औपचारिक क्षेत्र में सुगमता प्रदान करेंगे और उन्हें चैनलीकृत करेंगे तथा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करेंगे। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और सत्यापन तथा संवीक्षा के लिए भी प्रावधान लागू किए गए हैं। ये नियम ई.पी.आर. व्यवस्था और ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक रूप से पुनर्चक्रण/निपटान के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं।

देश में उत्पन्न ई-अपशिष्ट का आकलन सीपीसीबी द्वारा विनियमों के तहत अधिसूचित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों (ईईई) की बिक्री के आंकड़ों और औसत उपयोग की अवधि के आधार पर किया गया है। यह आकलन ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत 21 ईईई के ईपीआर अधिकृत उत्पादकों और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत 106 ईईई के पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए बिक्री आंकड़ों के आधार पर किया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट की मात्रा और उसमें हुई वर्षवार वृद्धि निम्नानुसार है:

| वित्तीय वर्ष | उत्पन्न ई-अपशिष्ट [मीट्रिक टन (एमटी)] | वर्षवार वृद्धि (एमटी) |
|---|---|---|
| **2021-22** | 16,01,155 | 2,54,659 |
| **2022-23** | 16,09,117 | 7,962 |
| **2023-24** | 17,78,400 | 1,69,283 |

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार, सभी उत्पादकों को अपने ईपीआर दायित्व को पूरा करना होगा और ऐसा करने समय वे तीसरे पक्ष के संगठनों जैसे कि उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन, संग्रहण केंद्र, डीलर आदि की मदद भी ले सकते हैं। इसके अलावा, पृथक्करण और पुनर्चक्रण केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से किया जाना है। ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं को वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने की उनकी क्षमता के आधार पर पंजीकृत किया जाता है। सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं, जिसमें ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए अपनाई जाने वाली सुविधाओं और प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है।

(घ) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 में ईईई के नवीनीकरण और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है। उक्त नियमों के नियम 14 (2) के प्रावधानों के अनुसार, किसी उत्पादक की ईपीआर बाध्यता, पंजीकृत नवीनीकरणकर्ताओं से खरीदे गए नवीनीकरण प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण पर सीपीसीबी द्वारा यथा निर्धारित अवधि तक स्थगित कर दी जाएगी। नवीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीनीकृत उत्पाद के उपयोग की विस्तारित अवधि की समाप्ति पर पुनर्चक्रण के लिए स्थगित मात्रा का केवल 75 प्रतिशत ही उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में जोड़ा जाएगा।

(ड.) देश में ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के संबंध में नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों का पालन किया जा रहा है।

(च) और (छ) सीपीसीबी के अनुसार वर्तमान में देश में ई-अपशिष्ट के कुल 322 अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता हैं, जिनकी प्रसंस्करण क्षमता 22,08,918 मीट्रिक टन है। इसके अलावा सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट नियमों के प्रभावीकारी प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. सीपीसीबी द्वारा एक ऑनलाइन ई-अपशिष्ट ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें ई-अपशिष्ट के उत्पादकों, निर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं जैसे निकायों को पंजीकृत होना आवश्यक है।
ii. सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक मशीनरी और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के संदर्भ में प्रक्रियाओं और सुविधाओं का विवरण दिया गया है।
iii. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है और इसे सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। एसपीसीबी/पीसीसी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कार्य योजना के अनुसार एसपीसीबी/पीसीसी के लिए अनौपचारिक ई-अपशिष्ट कार्यकलापों की जाँच करने और उन्हें औपचारिक बनाने में मदद करने के लिए नियमित अभियान चलाना अनिवार्य बनाया गया है।
iv. इन नियमों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या किसी नामित एजेंसी द्वारा यादृच्छिक निरीक्षण और आवधिक संवीक्षा, जैसा भी उचित हो, के माध्यम से इन नियमों के अनुपालन की जांच करने के लिए सत्यापन और संवीक्षा का प्रावधान किया गया है, ताकि इन नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जा सके।
v. पंजीकृत निकाय ई-अपशिष्ट पोर्टल पर त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न के माध्यम से उनके द्वारा किया गया अनुपालन प्रस्तुत करते हैं।
vi. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, ताकि इन नियमों के किसी भी प्रावधान और इसके अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में किसी भी निकाय पर ईसी लगायी जा सके।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन में उपभोक्ता की भागीदारी बढ़ाने के लिए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत पंजीकृत उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं को जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी दी गई है। उपभोक्ताओं को ई-अपशिष्ट प्रबंधन के उचित तरीकों के बारे में नियमित रूप से जागरूक किया जाता है और उन्हें पंजीकृत उत्पादकों, नवीनीकरणकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं को ई-अपशिष्ट सौंपने के लिए शिक्षित किया जाता है। उत्पादक और पुनर्चक्रणकर्ता मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों और संचार के अन्य माध्यमों से जागरूकता सृजित कर रहे हैं।

*****